प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/LBW / 54 / 2018–19 / 7658-75 दिनांक 17 / 10 / 2018

**विषय–मॉडयूल 6 एवं 7 के भाग 3 में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा कम वज़न के शिशुओं और एस0एन0सी0यू0 से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं के फॉलोअप किये जाने पर प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने, घर पर नवजात शिशुओं की उचित देखभाल करने तथा बीमार नवजात शिशुओं का समय से इलाज सुनिश्चित करने के उददेश्य से क्रमशः नवजात शिशु की देखभाल के लिए चिकित्सा इकाईयों पर फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से एन0बी0सी0सी0, एन0बी0एस0यू0 तथा एस0एन0सी0यू0 की स्थापना की जा रही है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर HBNC नवजात की गृह देखभाल कार्यक्रम वर्ष 2011 में मुख्यता ग्रामीण, सुदूर क्षेत्रों में, जहॉ देखभाल की पहुंच या तो दूर थी अथवा नहीं थी, के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा द्वारा HBNC भ्रमण सभी नवजात शिशुओं के लिए किया जाना है 6 भ्रमण संस्थागत प्रसव और 7 भ्रमण गृह प्रसव के लिए तथा अतिरिक्त भ्रमण बीमार तथा कम वजन वाले शिशुओं के लिए है जिसके लिए भ्रमण पूर्ण होने के उपरान्त अगर शिशु जीवित है, रू0 250 / – प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

एस0एन0सी0यू0 से उपचार उपरान्त छुट्टी पाये हुए तथा समय से पूर्व जन्में अथवा कम वजन वाले शिशुओं में मृत्यु का खतरा अधिक रहता हैं। स्वस्थ नवजात की अपेक्षा जन्म के समय कम वजन (LBW) वाले बच्चों में पोषण और मानसिक तथा शारीरिक विकास की दर भी प्रारम्भ से ही उचित देखभाल के अभाव में कम हो सकती है।

एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं में, बाद की उम्र में विलम्बित वृद्धि तथा नानकम्युनिकेबल बीमारियों का अतिरिक्त खतरा होता है, इसलिए यह जरूरी है कि एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी के उपरान्त इन शिशुओं की नियमित जाँच कर समय से माता पिता को उचित सलाह तथा इलाज हेतु जागरूक किया जाये तथा इलाज सुनिश्चित कराया जाये।

## 01– आशा की भूमिका :–

सभी आशा जो मॉड्यूल 6 एवं 7 के प्रथम चरण में प्रशिक्षित हैं HBNC कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 दिन तक ग्रह भ्रमणकर शिशु की देखभाल करना अपेक्षित है। मॉड्यूल 6 एवं 7 के तृतीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को "सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट" (SNCU) से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं को 3 माह से 1 वर्ष तक गृह भ्रमण कर देखभाल करने हेतु त्रिमाही भ्रमण करने पर प्रत्येक भ्रमण हेतु आशा को रू0 50 / – का भुगतान किया जायेगा। यह त्रैमाही भ्रमण तृतीय माह से एक वर्ष के लिए होगा। यह भुगतान समस्त त्रिमाही के भ्रमण तथा प्रत्येक भ्रमण के समस्त प्रपत्र भरे जाने और प्रस्तुत करने पर 01 वर्ष के उपरान्त आशा को एक मुश्त देय होगा।

## 02– गृह भ्रमण की समय सीमा–

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं का छुट्टी का दिन पहला दिन माना जायेगा। आशा छुट्टी के 24 घण्टे के भीतर पहला गृह भ्रमण करेगी। शेष गृह भ्रमण HBNC में गृह भ्रमण के अनुसार, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 वे दिन करेंगी।
- इन भ्रमणों के सम्पूर्ण होने पर तीसरे माह से आशा प्रत्येक त्रैमाही में एक बार शिशु के एक वर्ष की आयु तक 4 फालोअप भ्रमण करेंगी जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 माह की आयु में होगा।
- कम वजन वाले एवं समय से पूर्व जन्में उन शिशुओं को जिन्हें एस0एन0सी0यू0 में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हुयी हो, को HBNC भ्रमण सम्पूर्ण करने के उपरान्त (जन्म के 42 वे दिन तक) आशा

तीसरे माह से प्रत्येक त्रैमाही में एक बार एक वर्ष की आयु तक 4 भ्रमण 3 6 9 एवं 12 वे माह की आयु पर करेंगी।

## 03– फालोअप के उद्देश्य –

- फालोअप भ्रमण में एस0एन0सी0यू0 / एन0बी0एस0यू0 से छुट्टी के कार्ड में शिशु के लिए निर्धारित उपचार लेना सुनिश्चित करना।
- समय से खतरे वाले लक्षणों को पहचान कर JSSK कार्यक्रम के अन्तर्गत 102 एम्बूलेन्स द्वारा चिकित्सा इकाई में सन्दर्भित करना।
- आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य इकाईयों में उपचार हेतु पंहुचाने में मद्द करना।
- आंगनवाड़ी सेन्टर से वृद्धि मापन तथा सम्पूरक आहार उपलब्ध कराने में सहयोग लेना।

## 04– गृह भ्रमण के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ –

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी किये गये शिशुओं का डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार परिवार द्वारा उपचार सुनिश्चित कराना।
- **निम्न की जाँच करना तथा जटिलता होने पर सन्दर्भित करना–**
- यह जाँच करना कि MCP कार्ड में वजन तथा वजन की वृद्धि रिकार्ड की गयी है।
- माताओं को खतरे के लक्ष्णों के विषय में परामर्श देना तथा खतरे के लक्षण पाये जाने पर उनकी जानकारी देना।
- जन्मजात विकृति के लिए जाँच करना और विकृति होने पर (आर0बी0एस0के0 के दिशानिर्देशो के अनुसार) स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित करना।
- माताओं को शिशु के विकास के लिए MCP कार्ड के अनुसार परामर्श देना तथा शिशु के किसी भी विकृति / विलम्बित विकास के पाये जाने पर ए0एन0एम0 / प्रभारी चिकित्साधिकारी को रिपोर्ट करना।

## 05– परिवार को निम्न के लिए परामर्श एवं सूचना देना –

- ऐसे शिशुओं के लिए घर पर संक्रमण से बचाव हेतु हाथ धोने की प्रक्रिया, उचित तापमान बनाये रखने तथा फीडिंग में सहायता एवं सलाह देना।
- छः माह तक केवल स्तनपान कराना।
- कम वजन वाले अथवा समय से पूर्व जन्में शिशुओं को जो दूध पीने में असमर्थ है, की माताओं को स्तनपान की विधि तथा स्तन द्वारा निकाले हुए दूध को पैलेडे (Paladay), कटोरी एवं चम्मच द्वारा पिलाने के बारे में प्रशिक्षित करना।
- धात्री माताओं को पोषण सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देना।
- परिवार नियोजन के विषय में उचित सलाह देना।
- कुपोषण की रोकथाम हेतु समय से बच्चे को सम्पूरक आहार देने के विषय में जानकारी देना।
- बाल्यावस्था में डायरिया तथा निमोनिया से बचाव के विषय में जानकारी देना।
- माता पिता को बच्चे के विकास सम्बन्धी गतिबिधियों के विषय में जानकारी देना।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सीरप आयरन, फोलिक ऐसिड तथा विटामिन ए, को उम्र के अनुसार दिया जाना सुनिश्चित करना।

## 06– आशा द्वारा प्रथम वर्ष के फालोअप में करी गयी गतिविधिः–

| | | 03 माह | 06 माह | 09 माह | 12 माह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यह सुनिश्चित करना कि वजन किया गया है एवं वृद्धि चार्ट में (MCP) कार्ड में अंकन किया गया है। | | | | |
| 2 | यह पहचानना कि बच्चा यदि लाल जोन में है तो यह वजन न बढ़ने से है अथवा वजन घटने से है। | | | | |
| 3 | माता को शिशु के खतरों के लक्षण पहचानने एवं संदर्भित करने हेतु परामर्श। | | | | |
| 4 | स्वच्छता अभ्यास के महत्व के लिए परामर्श। | | | | |
| 5 | परिवार को पूर्णतया स्तनपान हेतु परामर्श। | | | | |
| 6 | समयानुसार सम्पूरक आहार की शुरूआत एवं लगातार स्तनपान के लिये परामर्श। | | | | |
| 7 | बच्चे के लिये उचित पोषण हेतु परामर्श। | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | समुचित टीकाकरण के लिये जाँच एवं परामर्श। | | | | |
| 9 | MCP कार्ड अनुसार परिवार के बच्चे को प्रोत्साहित करने एवं बच्चे के साथ आयु अनुसार क्रियाकलाप करने हेतु परामर्श। | | | | |
| 10 | सूचित करें यदि कोई विकृति/वृद्धि विलम्ब हो। | | | | |
| 11 | IFA सम्पूरक सुनिश्चित करना। | | | | |
| 12 | विटामिन ए सुनिश्चित करना। | | | | |
| 13 | माता को दस्त रोग से बचाव हेतु ORS का परामर्श देना। | | | | |
| 14 | दस्त से ग्रस्त शिशु को जिंक देना। | | | | |
| 15 | आवश्यकतानुसार आशा द्वारा किये गये अतिरिक्त भ्रमण। | | | | |

## 07– विकास निगरानी:–

- HBNC किट में उपलब्ध वजन स्केल से आशा 5 किलो तक के शिशु का वजन ले सकती है, इस लिए 5 किलो तक के शिशु का वजन लेने हेतु आशा HBNC किट में उपलब्ध वजन स्केल का ही इस्तेमाल करेगी।
- आशा को 5 किलो से ज्यादा अथवा 42 दिनों से अधिक के शिशु के वजन हेतु आंगनवाड़ी कार्य कत्री से समन्वय करना होगा तथा वजन की सूचना नियमित रूप से एम0सी0पी0 कार्ड तथा आंगनवाड़ी रजिस्टर में अंकित करनी होगी। यह प्रकिया वी0एच0एन0डी0 के दौरान या आंगनवाड़ी केन्द्र पर ले जाकर करना होगा।

## 08– फालोअप गतिविधियाँ:–

- ए0एन0एम0 इन शिशुओं का नाम सूंची में अंकित कर सब सेन्टर पर रिकार्ड रखेंगी। शिशु के विकास एवं स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हुए जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य इकाई पर सम्पर्क करेगी।
- ऐसे बच्चों की माताओं को प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 सत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं शिशुओं को सम्पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए, तथा आई0एफ0ए0 सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही आर0बी0एस0के0 द्वारा 30 स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जाँच करवायेंगी।
- ऐसे शिशुओं एवं माताओं का पास के आंगनवाड़ी केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करके शिशुओं के नियमित विकास की जाँच तथा बच्चों (6 माह से 3 वर्ष की आयु तक) एवं माता को सम्पूरक आहार देना सुनिश्चित करेंगी।

## 09– क्षमता वर्धन –

- आशा द्वारा यह गतिविधि सुचारू रूप से करने हेतु विषय में दक्षता एवं ज्ञान होना आवश्यक है। कम वजन व समय से पूर्व जन्में शिशुओं में खतरो के लक्ष्ण को पहचान हेतु मॉड्यूल 6 एवं 7 के तृतीय चरण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः राउण्ड 3 में प्रशिक्षण प्राप्त आशाओं द्वारा ही यह गतिविधि की जायेगी।
- आशा प्रत्येक एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए, कम वजन वाले तथा समय से पूर्व जन्में शिशु के बारे में ए0एन0एम0 को सूंचित करेगी तथा ए0एन0एम0 वी0एच0एन0डी0 सत्र में अथवा गृह भ्रमण कर शिशु की जाँच करेगी। कोई विकृति होने पर आर0बी0एस0के0 टीम को सन्दर्भित करके इलाज सुनिश्चित करायेगी। आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम के अन्तर्गत आशा को जन्मजात विकृति की जाँच करने की तथा रिपोर्ट करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि आशा द्वारा कोई बीमार शिशु चिन्हित किया जाता है तो उसे तुरन्त स्वास्थ्य इकाई में संदर्भित करना सुनिश्चित करेंगी।
- आशा इन गृह भ्रमणों के दौरान ही राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार सप्ताह में दो बार Iron folic acid सीरप को पिलाना सुनिश्चित करेगी तथा माता को सीरप पिलाने की विधि सिखायेंगी **इस** गतिविधि का राज्य स्तर पर दी गयी रूप रेखा के अनुसार आगे का अनुश्रवण करेगी।

## 10– प्रोत्साहन राशि का भुगतान –

- मॉड्यूल 6 एवं 7 के राउण्ड 3 में प्रशिक्षण प्राप्त आशा ही प्रोत्साहन राशि के योग्य होगी।
- आशा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं को HBNC प्रोग्राम के अन्तर्गत 42वे दिन तक गृह भ्रमण सम्पूर्ण होने पर 250 रू0 पाने की पात्र होगी।
- आशा को 4 त्रैमाही भ्रमण के 200 रूपये की एकमुस्त राशि मिलेंगी, जोकि उसे शिशु की 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु पूरी होने पर 50 रूपये प्रति त्रैमाही के अनुसार मिलेंगे।

## 11– आशा की तृमाही प्रोत्साहन राशि पाने की योग्यता निम्न पर निर्भर है –

- आशा ने गृह भ्रमण किया है और इसे ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- ए0एन0एम0 द्वारा शिशु की किसी जटिलता और विलम्बित वृद्धि हेतु जाँच कर ली गयी हो।
- शिशु का टीकाकरण आयु अनुसार पूर्ण कर लिया गया हो।
- माता तथा शिशु का आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रेशन हो गया हो। तथा एम0सी0पी0 कार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिमाह बच्चे का वजन तथा वृद्धि अंकित की गयी हो।
- बच्चा 1 वर्ष की आयु तक जीवित हो।

## 12– क्षेत्र स्तर पर सहयोग –

आशा के कार्य की निगरानी आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 द्वारा की जायेगी। वह सुनिश्चित करेंगी कि आशा द्वारा त्रैमाही भ्रमण किये गये है अथवा नहीं। कम से कम एक त्रैमाही भ्रमण आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 के साथ हो जिससे कि आशा के कार्य की निगरानी, सुधार तथा सहयोग चेकलिस्ट के द्वारा किया जा सके। ए0एन0एम0 द्वारा आशा को तकनीकी दक्षता विकसित करने में सहयोग दिया जायेगा, जिससे वह बीमार नवजात शिशु को पहचान सके।

- आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए0एन0एम0 के समन्वयक प्रयासों से ग्रामीण स्तर पर कम वजन वाले /समय से पूर्व जन्में अथवा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं की एक वर्ष तक की आयु तक देखभाल की जा सकती है। आवश्यकता है कि ऐसे शिशुओं को चिन्हित होने पर उपनकी जानकारी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए0एन0एम0 आपस में सांझा करें।
- गृह भ्रमण को सत्यापित करने के उपरान्त या सभी मापदण्डो के पूरा होने पर ए0एन0एम0/आशा संगिनी आशा के भुगतान वाउचर को सत्यापित करेगी।
- ए0एन0एम0 यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों के एम0सी0पी0 कार्ड पूरे भरे हुए हो तथा इन्हें एम0सी0टी0एस0 पर अंकित किया गया हो।
- **चिकित्सा अधिकारी मासिक बैठको को आशा/ए0एन0एम0 द्वारा की गयी कार्य वृद्धियों के आंकलन का आधार बनाये। प्रत्येक मासिक बैठक में खतरो के लक्ष्ण पहचानना, तापमान लेना, हाथ धोने की प्रक्रिया, एम0सी0पी0 कार्ड के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर दक्षता प्रदान की जानी चाहिए।**

## 13– स्वास्थ्य इकाई फालोअप –

होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर (HBNC) फालोअप भ्रमण एस0एन0सी0यू0 पर फालोअप का विकल्प नहीं है, इसलिए एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए समस्त शिशुओं का एस0एन0सी0यू0 स्तर पर परामर्श के स्तर पर निरन्तर फालोअप आवश्यक है। फालोअप प्रक्रिया स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकारण के दौरान भी पूर्ण की जा सकती है।

यदि आशा जिला स्तर के एस0एन0सी0यू0 पर नवजात को नहीं ले जा पा रही है, तो उसके द्वारा परिवार को शिशु की जाँच हेतु पास की स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित करने हेतु परामर्श देना चाहिए। एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं की सूची DEIC पर आर0बी0एस0के0 टीम के पास भी होनी चाहिए। पी0एच0सी0 पर मासिक बैठको के दौरान चिकित्सा अधिकारी के पास आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम से समन्वय हेतु भी इसकी सूची होनी चाहिए।

## 14– फालोअप गतिविधियों का रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग –

आशा को गतिविधियाँ रिपोर्टिंग प्रपत्र पर रिकार्ड करनी होंगी (संलग्नक–2) यह प्रपत्र ए0एन0एम0 /आशा संगिनी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। यह सूंचना ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा एकत्र की जायेगी, तथा ब्लाक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा संकलित की जायेगी। जनपद स्तर से समस्त ब्लाकों से सूचना एकत्रित कर राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ को प्रपत्र (संलग्नक–3) पर प्रेषित की जायेगी।

## 15– संकेतक –

निम्न संकेतक कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाते है।

प्रक्रिया संकेतकः–

- आशाओं का प्रतिशत जिनका एक साल तक की फालोअप प्रक्रिया में उन्मुखी करण हुआ हो।
- आशाओं का प्रतिशत जिनके पास ओ0आर0एस0 है।

## 15.1 किये हुए कार्य का संकेतक (output indicators)-

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए नवजात का प्रतिशत जिनकी छुट्टी के प्रथम दिवस के भीतर आशा द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी चारो त्रैमाही में आशा द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी वृद्धि की जाँच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकों आर0बी0एस0 के0 टीम को सन्दर्भित किया गया हो।
- शिशओं का प्रतिशत जिनकों आशा द्वारा जॉच हेतु स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित किया गया हो।

## 15.2 परिणाम संकेतक (outcome indicators)-

- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों पूर्णतया स्तनपान के लिए परामर्श दिया गया हो।
- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों समयानुसार सम्पूरक आहार हेतु परामर्श किया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनका आयु अनुसार टीकाकरण किया गया हो।
- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों IFA सम्पूरक हेतु परामर्श दिया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकों पिछली त्रिमाही में दस्त होने पर ओ0आर0एस0 दिया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी 1 वर्ष की आयु तक फालोअप अवधि में मृत्यु हुयी हो।
- आशाओं का प्रतिशत जिन्होंने सभी भ्रमण पूर्ण किये हों तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी हो।

## 16 वित्त पोषण–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-B.1.1.3.2.3 पर स्वीकृत तथा वर्ष 2018–19 में SHS स्तर पर कमिटेड के रूप में रक्षित स्वीकृत धनराशि आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| FMR Code- B.1.1.3.2.3 | | | | | | |
| A | B | C | D | E = D*5 | F | G |
| 1 | Agra | 2806 | 1304 | 6520 | 326000 | **326000** |
| 2 | Aligarh | 2850 | 1492 | 7460 | 373000 | **373000** |
| 3 | Allahabad | 4371 | 2308 | 11540 | 577000 | **577000** |
| 4 | Ambedkar Nagar | 2372 | 2053 | 10265 | 513250 | **513250** |
| 5 | Amethi | 2250 | 1543 | 7715 | 385750 | **385750** |
| 6 | Amroha (JP Nagar) | 1419 | 1079 | 5395 | 269750 | **269750** |
| 7 | Auraiya | 1266 | 984 | 4920 | 246000 | **246000** |

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| **FMR Code- B.1.1.3.2.3** | | | | | | |
| 8 | Baghpat | 1028 | 503 | 2515 | 125750 | **125750** |
| 9 | Bahraich | 3191 | 2378 | 11890 | 594500 | **594500** |
| 10 | Balrampur | 1979 | 1661 | 8305 | 415250 | **415250** |
| 11 | Banda | 1523 | 656 | 3280 | 164000 | **164000** |
| 12 | Barabanki | 3258 | 3066 | 15330 | 766500 | **766500** |
| 13 | Bareilly | 2903 | 1853 | 9265 | 463250 | **463250** |
| 14 | Basti | 2323 | 2960 | 14800 | 740000 | **740000** |
| 15 | Bijnor | 3070 | 1523 | 7615 | 380750 | **380750** |
| 16 | Budaun | 2563 | 947 | 4735 | 236750 | **236750** |
| 17 | Bulandshahar | 2291 | 1909 | 9545 | 477250 | **477250** |
| 18 | Chandauli | 1953 | 1158 | 5790 | 289500 | **289500** |
| 19 | Chitrakoot | 852 | 73 | 365 | 18250 | **18250** |
| 20 | Deoria | 2930 | 1009 | 5045 | 252250 | **252250** |
| 21 | Etah | 1492 | 662 | 3310 | 165500 | **165500** |
| 22 | Etawah | 1372 | 994 | 4970 | 248500 | **248500** |
| 23 | Faizabad | 2556 | 1309 | 6545 | 327250 | **327250** |
| 24 | Farukkhabad | 1497 | 448 | 2240 | 112000 | **112000** |
| 25 | Fatehpur | 2311 | 1328 | 6640 | 332000 | **332000** |
| 26 | Firozabad | 1664 | 1289 | 6445 | 322250 | **322250** |
| 27 | G B Nagar | 778 | 422 | 2110 | 105500 | **105500** |
| 28 | Ghaziabad | 688 | 516 | 2580 | 129000 | **129000** |
| 29 | Ghazipur | 3623 | 2712 | 13560 | 678000 | **678000** |
| 30 | Gonda | 3186 | 1363 | 6815 | 340750 | **340750** |
| 31 | Gorakhpur | 3603 | 2351 | 11755 | 587750 | **587750** |
| 32 | Hamirpur | 1104 | 257 | 1285 | 64250 | **64250** |
| 33 | Hapur | 717 | 668 | 3340 | 167000 | **167000** |
| 34 | Hardoi | 3550 | 2118 | 10590 | 529500 | **529500** |
| 35 | Hathras | 1232 | 932 | 4660 | 233000 | **233000** |
| 36 | Jalaun | 1381 | 614 | 3070 | 153500 | **153500** |
| 37 | Jaunpur | 4145 | 2489 | 12445 | 622250 | **622250** |
| 38 | Jhansi | 1260 | 901 | 4505 | 225250 | **225250** |
| 39 | Kannauj | 1492 | 1078 | 5390 | 269500 | **269500** |
| 40 | Kanpur Dehat | 1700 | 1469 | 7345 | 367250 | **367250** |
| 41 | Kanpur Nagar | 1686 | 1217 | 6085 | 304250 | **304250** |
| 42 | Kasganj | 1150 | 823 | 4115 | 205750 | **205750** |
| 43 | Kaushambi | 1660 | 1116 | 5580 | 279000 | **279000** |
| 44 | Kushi Nagar | 3392 | 935 | 4675 | 233750 | **233750** |
| 45 | Lakhimpur Kheri | 3552 | 1163 | 5815 | 290750 | **290750** |
| 46 | Lalitpur | 982 | 351 | 1755 | 87750 | **87750** |
| 47 | Lucknow | 1551 | 570 | 2850 | 142500 | **142500** |
| 48 | Maharajganj | 2666 | 2234 | 11170 | 558500 | **558500** |
| 49 | Mahoba | 697 | 319 | 1595 | 79750 | **79750** |
| 50 | Mainpuri | 1562 | 1012 | 5060 | 253000 | **253000** |
| 51 | Mathura | 1788 | 1061 | 5305 | 265250 | **265250** |
| 52 | Mau | 1751 | 1600 | 8000 | 400000 | **400000** |
| 53 | Meerut | 1688 | 1186 | 5930 | 296500 | **296500** |
| 54 | Mirzapur | 2148 | 742 | 3710 | 185500 | **185500** |
| 55 | Moradabad | 2218 | 1838 | 9190 | 459500 | **459500** |
| 56 | Muzaffar Nagar | 2267 | 1457 | 7285 | 364250 | **364250** |
| 57 | Pilibhit | 1426 | 858 | 4290 | 214500 | **214500** |
| 58 | Pratapgarh | 3041 | 2151 | 10755 | 537750 | **537750** |
| 59 | Raebareli | 2305 | 2128 | 10640 | 532000 | **532000** |
| 60 | Rampur | 1705 | 570 | 2850 | 142500 | **142500** |
| 61 | Saharanpur | 2695 | 892 | 4460 | 223000 | **223000** |

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| **FMR Code- B.1.1.3.2.3** | | | | | | |
| 62 | Sant Kabir Nagar | 1586 | 557 | 2785 | 139250 | **139250** |
| 63 | SR Nagar (Bhadohi) | 1355 | 387 | 1935 | 96750 | **96750** |
| 64 | Shahjahanpur | 2597 | 780 | 3900 | 195000 | **195000** |
| 65 | Shravasti | 1114 | 937 | 4685 | 234250 | **234250** |
| 66 | Siddharth Nagar | 2393 | 967 | 4835 | 241750 | **241750** |
| 67 | Sitapur | 3944 | 2111 | 10555 | 527750 | **527750** |
| 68 | Sonbhadra | 1548 | 406 | 2030 | 101500 | **101500** |
| 69 | Sultanpur | 2556 | 1184 | 5920 | 296000 | **296000** |
| 70 | Unnao | 2623 | 1984 | 9920 | 496000 | **496000** |
| 71 | Varanasi | 2083 | 1842 | 9210 | 460500 | **460500** |
| **Total-** | | **150278** | **89757** | **448785** | **22439250** | **22439250** |
| **Total fund released to DHS (In Lacs)** | | | | | | **224.39** |

**आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि का नियमानुसार समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।**

17– वित्तीय निर्देश –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

18– मूल्यांकन एवं अनुश्रवरण–

गतिविधि की भौतिक रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप **संलग्नक–3** पर संकलित कर त्रैमासिक के अनुसार तीसरे माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। किसी अन्य जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/LBW / 54 / 2018–19 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

**समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/LBW / 54 / 2018–19 / दिनांक 17 / 10 / 2018

**विषय–मॉडयूल 6 एवं 7 के भाग 3 में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा कम वज़न के शिशुओं और एस0एन0सी0यू0 से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं के फॉलोअप किये जाने पर प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय / महोदया,**

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने, घर पर नवजात शिशुओं की उचित देखभाल करने तथा बीमार नवजात शिशुओं का समय से इलाज सुनिश्चित करने के उददेश्य से क्रमशः नवजात शिशु की देखभाल के लिए चिकित्सा इकाईयों पर फैसीलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (FBNC) कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से एन0बी0सी0सी0, एन0बी0एस0यू0 तथा एस0एन0सी0यू0 की स्थापना की जा रही है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर HBNC नवजात की गृह देखभाल कार्यक्रम वर्ष 2011 में मुख्यता ग्रामीण, सुदूर क्षेत्रों में, जहॉ देखभाल की पहुंच या तो दूर थी अथवा नहीं थी, के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा द्वारा HBNC भ्रमण सभी नवजात शिशुओं के लिए किया जाना है 6 भ्रमण संस्थागत प्रसव और 7 भ्रमण गृह प्रसव के लिए तथा अतिरिक्त भ्रमण बीमार तथा कम वजन वाले शिशुओं के लिए है जिसके लिए भ्रमण पूर्ण होने के उपरान्त अगर शिशु जीवित है, रू0 250 / – प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

एस0एन0सी0यू0 से उपचार उपरान्त छुट्टी पाये हुए तथा समय से पूर्व जन्में अथवा कम वजन वाले शिशुओं में मृत्यु का खतरा अधिक रहता हैं। स्वस्थ नवजात की अपेक्षा जन्म के समय कम वजन (LBW) वाले बच्चों में पोषण और मानसिक तथा शारीरिक विकास की दर भी प्रारम्भ से ही उचित देखभाल के अभाव में कम हो सकती है।

एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं में, बाद की उम्र में विलम्बित वृद्धि तथा नानकम्युनिकेबल बीमारियों का अतिरिक्त खतरा होता है, इसलिए यह जरूरी है कि एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी के उपरान्त इन शिशुओं की नियमित जाँच कर समय से माता पिता को उचित सलाह तथा इलाज हेतु जागरूक किया जाये तथा इलाज सुनिश्चित कराया जाये।

**01– आशा की भूमिका :–**

सभी आशा जो मॉड्यूल 6 एवं 7 के प्रथम चरण में प्रशिक्षित हैं HBNC कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 दिन तक ग्रह भ्रमणकर शिशु की देखभाल करना अपेक्षित है। मॉड्यूल 6 एवं 7 के तृतीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को "सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट" (SNCU) से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं को 3 माह से 1 वर्ष तक गृह भ्रमण कर देखभाल करने हेतु त्रिमाही भ्रमण करने पर प्रत्येक भ्रमण हेतु आशा को रू0 50 / – का भुगतान किया जायेगा। यह त्रैमाही भ्रमण तृतीय माह से एक वर्ष के लिए होगा। यह भुगतान समस्त त्रिमाही के भ्रमण तथा प्रत्येक भ्रमण के समस्त प्रपत्र भरे जाने और प्रस्तुत करने पर 01 वर्ष के उपरान्त आशा को एक मुश्त देय होगा।

**02– गृह भ्रमण की समय सीमा–**

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं का छुट्टी का दिन पहला दिन माना जायेगा। आशा छुट्टी के 24 घण्टे के भीतर पहला गृह भ्रमण करेगी। शेष गृह भ्रमण HBNC में गृह भ्रमण के अनुसार, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 वे दिन करेंगी।
- इन भ्रमणों के सम्पूर्ण होने पर तीसरे माह से आशा प्रत्येक त्रैमाही में एक बार शिशु के एक वर्ष की आयु तक 4 फालोअप भ्रमण करेंगी जो क्रमशः 3, 6, 9, 12 माह की आयु में होगा।
- कम वजन वाले एवं समय से पूर्व जन्में उन शिशुओं को जिन्हें एस0एन0सी0यू0 में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हुयी हो, को HBNC भ्रमण सम्पूर्ण करने के उपरान्त (जन्म के 42 वे दिन तक) आशा

तीसरे माह से प्रत्येक त्रैमाही में एक बार एक वर्ष की आयु तक 4 भ्रमण 3 6 9 एवं 12 वे माह की आयु पर करेंगी।

## 03– फालोअप के उद्देश्य –

- फालोअप भ्रमण में एस0एन0सी0यू0 / एन0बी0एस0यू0 से छुट्टी के कार्ड में शिशु के लिए निर्धारित उपचार लेना सुनिश्चित करना।
- समय से खतरे वाले लक्षणों को पहचान कर JSSK कार्यक्रम के अन्तर्गत 102 एम्बूलेन्स द्वारा चिकित्सा इकाई में सन्दर्भित करना।
- आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य इकाईयों में उपचार हेतु पंहुचाने में मद्द करना।
- आंगनवाड़ी सेन्टर से वृद्धि मापन तथा सम्पूरक आहार उपलब्ध कराने में सहयोग लेना।

## 04– गृह भ्रमण के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ –

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी किये गये शिशुओं का डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार परिवार द्वारा उपचार सुनिश्चित कराना।
- **निम्न की जाँच करना तथा जटिलता होने पर सन्दर्भित करना–**
- यह जाँच करना कि MCP कार्ड में वजन तथा वजन की वृद्धि रिकार्ड की गयी है।
- माताओं को खतरे के लक्षणों के विषय में परामर्श देना तथा खतरे के लक्षण पाये जाने पर उनकी जानकारी देना।
- जन्मजात विकृति के लिए जाँच करना और विकृति होने पर (आर0बी0एस0के0 के दिशानिर्देशो के अनुसार) स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित करना।
- माताओं को शिशु के विकास के लिए MCP कार्ड के अनुसार परामर्श देना तथा शिशु के किसी भी विकृति / विलम्बित विकास के पाये जाने पर ए0एन0एम0 / प्रभारी चिकित्साधिकारी को रिपोर्ट करना।

## 05– परिवार को निम्न के लिए परामर्श एवं सूचना देना –

- ऐसे शिशुओं के लिए घर पर संक्रमण से बचाव हेतु हाथ धोने की प्रक्रिया, उचित तापमान बनाये रखने तथा फीडिंग में सहायता एवं सलाह देना।
- छः माह तक केवल स्तनपान कराना।
- कम वजन वाले अथवा समय से पूर्व जन्में शिशुओं को जो दूध पीने में असमर्थ है, की माताओं को स्तनपान की विधि तथा स्तन द्वारा निकाले हुए दूध को पैलेडे (Paladay), कटोरी एवं चम्मच द्वारा पिलाने के बारे में प्रशिक्षित करना।
- धात्री माताओं को पोषण सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देना।
- परिवार नियोजन के विषय में उचित सलाह देना।
- कुपोषण की रोकथाम हेतु समय से बच्चे को सम्पूरक आहार देने के विषय में जानकारी देना।
- बाल्यावस्था में डायरिया तथा निमोनिया से बचाव के विषय में जानकारी देना।
- माता पिता को बच्चे के विकास सम्बन्धी गतिबिधियों के विषय में जानकारी देना।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सीरप आयरन, फोलिक ऐसिड तथा विटामिन ए, को उम्र के अनुसार दिया जाना सुनिश्चित करना।

## 06– आशा द्वारा प्रथम वर्ष के फालोअप में करी गयी गतिविधिः–

| | | 03 माह | 06 माह | 09 माह | 12 माह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यह सुनिश्चित करना कि वजन किया गया है एवं वृद्धि चार्ट में (MCP) कार्ड में अंकन किया गया है। | | | | |
| 2 | यह पहचानना कि बच्चा यदि लाल जोन में है तो यह वजन न बढ़ने से है अथवा वजन घटने से है। | | | | |
| 3 | माता को शिशु के खतरों के लक्षण पहचानने एवं संदर्भित करने हेतु परामर्श। | | | | |
| 4 | स्वच्छता अभ्यास के महत्व के लिए परामर्श। | | | | |
| 5 | परिवार को पूर्णतया स्तनपान हेतु परामर्श। | | | | |
| 6 | समयानुसार सम्पूरक आहार की शुरूआत एवं लगातार स्तनपान के लिये परामर्श। | | | | |
| 7 | बच्चे के लिये उचित पोषण हेतु परामर्श। | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | समुचित टीकाकरण के लिये जाँच एवं परामर्श। | | | | |
| 9 | MCP कार्ड अनुसार परिवार के बच्चे को प्रोत्साहित करने एवं बच्चे के साथ आयु अनुसार क्रियाकलाप करने हेतु परामर्श। | | | | |
| 10 | सूचित करें यदि कोई विकृति/वृद्धि विलम्ब हो। | | | | |
| 11 | IFA सम्पूरक सुनिश्चित करना। | | | | |
| 12 | विटामिन ए सुनिश्चित करना। | | | | |
| 13 | माता को दस्त रोग से बचाव हेतु ORS का परामर्श देना। | | | | |
| 14 | दस्त से ग्रस्त शिशु को जिंक देना। | | | | |
| 15 | आवश्यकतानुसार आशा द्वारा किये गये अतिरिक्त भ्रमण। | | | | |

## 07– विकास निगरानीः–

- HBNC किट में उपलब्ध वजन स्केल से आशा 5 किलो तक के शिशु का वजन ले सकती है, इस लिए 5 किलो तक के शिशु का वजन लेने हेतु आशा HBNC किट में उपलब्ध वजन स्केल का ही इस्तेमाल करेगी।
- आशा को 5 किलो से ज्यादा अथवा 42 दिनों से अधिक के शिशु के वजन हेतु आंगनवाड़ी कार्य कत्री से समन्वय करना होगा तथा वजन की सूचना नियमित रूप से एम0सी0पी0 कार्ड तथा आंगनवाड़ी रजिस्टर में अंकित करनी होगी। यह प्रकिया वी0एच0एन0डी0 के दौरान या आंगनवाड़ी केन्द्र पर ले जाकर करना होगा।

## 08– फालोअप गतिविधियाँः–

- ए0एन0एम0 इन शिशुओं का नाम सूंची में अंकित कर सब सेन्टर पर रिकार्ड रखेंगी। शिशु के विकास एवं स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हुए जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य इकाई पर सम्पर्क करेगी।
- ऐसे बच्चों की माताओं को प्रत्येक वी0एच0एन0डी0 सत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी एवं शिशुओं को सम्पूर्ण टीकाकरण, विटामिन ए, तथा आई0एफ0ए0 सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही आर0बी0एस0के0 द्वारा 30 स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जाँच करवायेंगी।
- ऐसे शिशुओं एवं माताओं का पास के आंगनवाड़ी केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करके शिशुओं के नियमित विकास की जाँच तथा बच्चों (6 माह से 3 वर्ष की आयु तक) एवं माता को सम्पूरक आहार देना सुनिश्चित करेंगी।

## 09– क्षमता वर्धन –

- आशा द्वारा यह गतिविधि सुचारू रूप से करने हेतु विषय में दक्षता एवं ज्ञान होना आवश्यक है। कम वजन व समय से पूर्व जन्में शिशुओं में खतरो के लक्ष्ण को पहचान हेतु मॉड्यूल 6 एवं 7 के तृतीय चरण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः राउण्ड 3 में प्रशिक्षण प्राप्त आशाओं द्वारा ही यह गतिविधि की जायेगी।
- आशा प्रत्येक एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए, कम वजन वाले तथा समय से पूर्व जन्में शिशु के बारे में ए0एन0एम0 को सूंचित करेगी तथा ए0एन0एम0 वी0एच0एन0डी0 सत्र में अथवा गृह भ्रमण कर शिशु की जाँच करेगी। कोई विकृति होने पर आर0बी0एस0के0 टीम को सन्दर्भित करके इलाज सुनिश्चित करायेगी। आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम के अन्तर्गत आशा को जन्मजात विकृति की जाँच करने की तथा रिपोर्ट करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि आशा द्वारा कोई बीमार शिशु चिन्हित किया जाता है तो उसे तुरन्त स्वास्थ्य इकाई में संदर्भित करना सुनिश्चित करेंगी।
- आशा इन गृह भ्रमणों के दौरान ही राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार सप्ताह में दो बार Iron folic acid सीरप को पिलाना सुनिश्चित करेगी तथा माता को सीरप पिलाने की विधि सिखायेंगी **इस** गतिविधि का राज्य स्तर पर दी गयी रूप रेखा के अनुसार आगे का अनुश्रवण करेगी।

## 10– प्रोत्साहन राशि का भुगतान –

- मॉड्यूल 6 एवं 7 के राउण्ड 3 में प्रशिक्षण प्राप्त आशा ही प्रोत्साहन राशि के योग्य होगी।
- आशा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं को HBNC प्रोग्राम के अन्तर्गत 42वे दिन तक गृह भ्रमण सम्पूर्ण होने पर 250 रू0 पाने की पात्र होगी।
- आशा को 4 त्रैमाही भ्रमण के 200 रूपये की एकमुस्त राशि मिलेंगी, जोकि उसे शिशु की 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु पूरी होने पर 50 रूपये प्रति त्रैमाही के अनुसार मिलेंगे।

## 11– आशा की तृमाही प्रोत्साहन राशि पाने की योग्यता निम्न पर निर्भर है –

- आशा ने गृह भ्रमण किया है और इसे ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- ए0एन0एम0 द्वारा शिशु की किसी जटिलता और विलम्बित वृद्धि हेतु जाँच कर ली गयी हो।
- शिशु का टीकाकरण आयु अनुसार पूर्ण कर लिया गया हो।
- माता तथा शिशु का आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रेशन हो गया हो। तथा एम0सी0पी0 कार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिमाह बच्चे का वजन तथा वृद्धि अंकित की गयी हो।
- बच्चा 1 वर्ष की आयु तक जीवित हो।

## 12– क्षेत्र स्तर पर सहयोग –

आशा के कार्य की निगरानी आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 द्वारा की जायेगी। वह सुनिश्चित करेंगी कि आशा द्वारा त्रैमाही भ्रमण किये गये है अथवा नहीं। कम से कम एक त्रैमाही भ्रमण आशा संगिनी एवं ए0एन0एम0 के साथ हो जिससे कि आशा के कार्य की निगरानी, सुधार तथा सहयोग चेकलिस्ट के द्वारा किया जा सके। ए0एन0एम0 द्वारा आशा को तकनीकी दक्षता विकसित करने में सहयोग दिया जायेगा, जिससे वह बीमार नवजात शिशु को पहचान सके।

- आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए0एन0एम0 के समन्वयक प्रयासों से ग्रामीण स्तर पर कम वजन वाले /समय से पूर्व जन्में अथवा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं की एक वर्ष तक की आयु तक देखभाल की जा सकती है। आवश्यकता है कि ऐसे शिशुओं को चिन्हित होने पर उपनकी जानकारी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए0एन0एम0 आपस में सांझा करें।
- गृह भ्रमण को सत्यापित करने के उपरान्त या सभी मापदण्डो के पूरा होने पर ए0एन0एम0/आशा संगिनी आशा के भुगतान वाउचर को सत्यापित करेगी।
- ए0एन0एम0 यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों के एम0सी0पी0 कार्ड पूरे भरे हुए हो तथा इन्हें एम0सी0टी0एस0 पर अंकित किया गया हो।
- **चिकित्सा अधिकारी मासिक बैठको को आशा/ए0एन0एम0 द्वारा की गयी कार्य वृद्धियों के आंकलन का आधार बनाये। प्रत्येक मासिक बैठक में खतरो के लक्ष्ण पहचानना, तापमान लेना, हाथ धोने की प्रक्रिया, एम0सी0पी0 कार्ड के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर दक्षता प्रदान की जानी चाहिए।**

## 13– स्वास्थ्य इकाई फालोअप –

होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर (HBNC) फालोअप भ्रमण एस0एन0सी0यू0 पर फालोअप का विकल्प नहीं है, इसलिए एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए समस्त शिशुओं का एस0एन0सी0यू0 स्तर पर परामर्श के स्तर पर निरन्तर फालोअप आवश्यक है। फालोअप प्रक्रिया स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकारण के दौरान भी पूर्ण की जा सकती है।

यदि आशा जिला स्तर के एस0एन0सी0यू0 पर नवजात को नहीं ले जा पा रही है, तो उसके द्वारा परिवार को शिशु की जाँच हेतु पास की स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित करने हेतु परामर्श देना चाहिए। एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशुओं की सूची DEIC पर आर0बी0एस0के0 टीम के पास भी होनी चाहिए। पी0एच0सी0 पर मासिक बैठको के दौरान चिकित्सा अधिकारी के पास आर0बी0एस0के0 प्रोग्राम से समन्वय हेतु भी इसकी सूची होनी चाहिए।

## 14– फालोअप गतिविधियों का रिकार्डिंग एवं रिपोर्टिंग –

आशा को गतिविधियाँ रिपोर्टिंग प्रपत्र पर रिकार्ड करनी होंगी **(संलग्नक–2)** यह प्रपत्र ए0एन0एम0 /आशा संगिनी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। यह सूंचना ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा एकत्र की जायेगी, तथा ब्लाक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा संकलित की जायेगी। जनपद स्तर से समस्त ब्लाकों से सूचना एकत्रित कर राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ को प्रपत्र **(संलग्नक–3)** पर प्रेषित की जायेगी।

## 15– संकेतक –

निम्न संकेतक कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाते है।

प्रक्रिया संकेतकः–

- आशाओं का प्रतिशत जिनका एक साल तक की फालोअप प्रक्रिया में उन्मुखी करण हुआ हो।
- आशाओं का प्रतिशत जिनके पास ओ0आर0एस0 है।

## 15.1 किये हुए कार्य का संकेतक (output indicators)-

- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए नवजात का प्रतिशत जिनकी छुट्टी के प्रथम दिवस के भीतर आशा द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी चारो त्रैमाही में आशा द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी ए0एन0एम0/आशा संगिनी द्वारा जाँच की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी वृद्धि की जाँच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की गयी हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकों आर0बी0एस0 के0 टीम को सन्दर्भित किया गया हो।
- शिशओं का प्रतिशत जिनकों आशा द्वारा जॉच हेतु स्वास्थ्य इकाई में सन्दर्भित किया गया हो।

## 15.2 परिणाम संकेतक (outcome indicators)-

- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों पूर्णतया स्तनपान के लिए परामर्श दिया गया हो।
- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों समयानुसार सम्पूरक आहार हेतु परामर्श किया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनका आयु अनुसार टीकाकरण किया गया हो।
- लाभार्थी माताओं का प्रतिशत (कम वजन वाले तथा एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए शिशु) जिनकों IFA सम्पूरक हेतु परामर्श दिया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकों पिछली त्रिमाही में दस्त होने पर ओ0आर0एस0 दिया गया हो।
- एस0एन0सी0यू0 से छुट्टी पाये हुए तथा कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत जिनकी 1 वर्ष की आयु तक फालोअप अवधि में मृत्यु हुयी हो।
- आशाओं का प्रतिशत जिन्होंने सभी भ्रमण पूर्ण किये हों तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी हो।

## 16 वित्त पोषण–

**भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-B.1.1.3.2.3 पर स्वीकृत तथा वर्ष 2018–19 में SHS स्तर पर कमिटेड के रूप में रक्षित स्वीकृत धनराशि आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।**

**उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।**

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| **FMR Code- B.1.1.3.2.3** | | | | | | |
| A | B | C | D | E = D*5 | F | G |
| 1 | Agra | 2806 | 1304 | 6520 | 326000 | **326000** |
| 2 | Aligarh | 2850 | 1492 | 7460 | 373000 | **373000** |
| 3 | Allahabad | 4371 | 2308 | 11540 | 577000 | **577000** |
| 4 | Ambedkar Nagar | 2372 | 2053 | 10265 | 513250 | **513250** |
| 5 | Amethi | 2250 | 1543 | 7715 | 385750 | **385750** |
| 6 | Amroha (JP Nagar) | 1419 | 1079 | 5395 | 269750 | **269750** |
| 7 | Auraiya | 1266 | 984 | 4920 | 246000 | **246000** |

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| **FMR Code- B.1.1.3.2.3** | | | | | | |
| 8 | Baghpat | 1028 | 503 | 2515 | 125750 | **125750** |
| 9 | Bahraich | 3191 | 2378 | 11890 | 594500 | **594500** |
| 10 | Balrampur | 1979 | 1661 | 8305 | 415250 | **415250** |
| 11 | Banda | 1523 | 656 | 3280 | 164000 | **164000** |
| 12 | Barabanki | 3258 | 3066 | 15330 | 766500 | **766500** |
| 13 | Bareilly | 2903 | 1853 | 9265 | 463250 | **463250** |
| 14 | Basti | 2323 | 2960 | 14800 | 740000 | **740000** |
| 15 | Bijnor | 3070 | 1523 | 7615 | 380750 | **380750** |
| 16 | Budaun | 2563 | 947 | 4735 | 236750 | **236750** |
| 17 | Bulandshahar | 2291 | 1909 | 9545 | 477250 | **477250** |
| 18 | Chandauli | 1953 | 1158 | 5790 | 289500 | **289500** |
| 19 | Chitrakoot | 852 | 73 | 365 | 18250 | **18250** |
| 20 | Deoria | 2930 | 1009 | 5045 | 252250 | **252250** |
| 21 | Etah | 1492 | 662 | 3310 | 165500 | **165500** |
| 22 | Etawah | 1372 | 994 | 4970 | 248500 | **248500** |
| 23 | Faizabad | 2556 | 1309 | 6545 | 327250 | **327250** |
| 24 | Farukkhabad | 1497 | 448 | 2240 | 112000 | **112000** |
| 25 | Fatehpur | 2311 | 1328 | 6640 | 332000 | **332000** |
| 26 | Firozabad | 1664 | 1289 | 6445 | 322250 | **322250** |
| 27 | G B Nagar | 778 | 422 | 2110 | 105500 | **105500** |
| 28 | Ghaziabad | 688 | 516 | 2580 | 129000 | **129000** |
| 29 | Ghazipur | 3623 | 2712 | 13560 | 678000 | **678000** |
| 30 | Gonda | 3186 | 1363 | 6815 | 340750 | **340750** |
| 31 | Gorakhpur | 3603 | 2351 | 11755 | 587750 | **587750** |
| 32 | Hamirpur | 1104 | 257 | 1285 | 64250 | **64250** |
| 33 | Hapur | 717 | 668 | 3340 | 167000 | **167000** |
| 34 | Hardoi | 3550 | 2118 | 10590 | 529500 | **529500** |
| 35 | Hathras | 1232 | 932 | 4660 | 233000 | **233000** |
| 36 | Jalaun | 1381 | 614 | 3070 | 153500 | **153500** |
| 37 | Jaunpur | 4145 | 2489 | 12445 | 622250 | **622250** |
| 38 | Jhansi | 1260 | 901 | 4505 | 225250 | **225250** |
| 39 | Kannauj | 1492 | 1078 | 5390 | 269500 | **269500** |
| 40 | Kanpur Dehat | 1700 | 1469 | 7345 | 367250 | **367250** |
| 41 | Kanpur Nagar | 1686 | 1217 | 6085 | 304250 | **304250** |
| 42 | Kasganj | 1150 | 823 | 4115 | 205750 | **205750** |
| 43 | Kaushambi | 1660 | 1116 | 5580 | 279000 | **279000** |
| 44 | Kushi Nagar | 3392 | 935 | 4675 | 233750 | **233750** |
| 45 | Lakhimpur Kheri | 3552 | 1163 | 5815 | 290750 | **290750** |
| 46 | Lalitpur | 982 | 351 | 1755 | 87750 | **87750** |
| 47 | Lucknow | 1551 | 570 | 2850 | 142500 | **142500** |
| 48 | Maharajganj | 2666 | 2234 | 11170 | 558500 | **558500** |
| 49 | Mahoba | 697 | 319 | 1595 | 79750 | **79750** |
| 50 | Mainpuri | 1562 | 1012 | 5060 | 253000 | **253000** |
| 51 | Mathura | 1788 | 1061 | 5305 | 265250 | **265250** |
| 52 | Mau | 1751 | 1600 | 8000 | 400000 | **400000** |
| 53 | Meerut | 1688 | 1186 | 5930 | 296500 | **296500** |
| 54 | Mirzapur | 2148 | 742 | 3710 | 185500 | **185500** |
| 55 | Moradabad | 2218 | 1838 | 9190 | 459500 | **459500** |
| 56 | Muzaffar Nagar | 2267 | 1457 | 7285 | 364250 | **364250** |
| 57 | Pilibhit | 1426 | 858 | 4290 | 214500 | **214500** |
| 58 | Pratapgarh | 3041 | 2151 | 10755 | 537750 | **537750** |
| 59 | Raebareli | 2305 | 2128 | 10640 | 532000 | **532000** |
| 60 | Rampur | 1705 | 570 | 2850 | 142500 | **142500** |
| 61 | Saharanpur | 2695 | 892 | 4460 | 223000 | **223000** |

| Districtwise fund allocation of ASHA incentive for SNCU Discharge & LBW babies 2018-19 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. N. | District | Total number of ASHAs | Number of ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 2018 | Proposed number of newborns to be visited by ASHAs trained in round-3 of module 6 & 7 till June 18 (4 LBW+1 SNCU discharge) | Rs. 50/Qtr visit for 4 visit to be paid at the end of 4th visits | Total funds Approved to DHS (Amount in Rs) |
| **FMR Code- B.1.1.3.2.3** | | | | | | |
| 62 | Sant Kabir Nagar | 1586 | 557 | 2785 | 139250 | **139250** |
| 63 | SR Nagar (Bhadohi) | 1355 | 387 | 1935 | 96750 | **96750** |
| 64 | Shahjahanpur | 2597 | 780 | 3900 | 195000 | **195000** |
| 65 | Shravasti | 1114 | 937 | 4685 | 234250 | **234250** |
| 66 | Siddharth Nagar | 2393 | 967 | 4835 | 241750 | **241750** |
| 67 | Sitapur | 3944 | 2111 | 10555 | 527750 | **527750** |
| 68 | Sonbhadra | 1548 | 406 | 2030 | 101500 | **101500** |
| 69 | Sultanpur | 2556 | 1184 | 5920 | 296000 | **296000** |
| 70 | Unnao | 2623 | 1984 | 9920 | 496000 | **496000** |
| 71 | Varanasi | 2083 | 1842 | 9210 | 460500 | **460500** |
| **Total-** | | **150278** | **89757** | **448785** | **22439250** | **22439250** |
| **Total fund released to DHS (In Lacs)** | | | | | | **224.39** |

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि का नियमानुसार समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

17– वित्तीय निर्देश –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

18– मूल्यांकन एवं अनुश्रवरण–

गतिविधि की भौतिक रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप **संलग्नक–3** पर संकलित कर त्रैमासिक के अनुसार तीसरे माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। किसी अन्य जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/LBW / 54 / 2018–19 / 7658-75-11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
11. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य